उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनउ खण्ड पीठ, लखनउ।
प्रशासनिक अनुभाग
नीलामी नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय, लखनउ पीठ, लखनउ के कम्पाउन्ड में दिनांक 14.09.2011 से 13.09.2012 तक की अवधि हेतु साईकिल / स्कूटर स्टैण्ड ठेके की नीलामी प्रक्रिया मुहरबन्द निविदाओं एवं बोली दोनों माध्यम से दिनांक 03.09.2011 को सम्पादित की जाएगी। जिसके लिए मुहरबन्द निविदाएं दिनांक 03.09.2011 के अपराहन 02 बजे तक आमन्त्रित की जाएंगी। निविदाएं दिनांक 03.09.2011 **के अपराहन 3 बजे** खोली जाएगीं एवं साथ ही साथ बोली के भी माध्यम से नीलामी प्रक्रिया दिनांक 03.09.2011 को अपराहन 3 बजे न्यायालय परिसर में नजारत अनुभाग के सामने प्रारम्भ की जाएगी।

नीलामी की शर्ते निम्नलिखित है :—

1 **नीलामी मुहरबन्द निविदाओं एवं बोली दोनों ही माध्यम से की जाएगी। बोली या मुहरबन्द निविदा में से जिस व्यक्ति की धनराशि सबसे अधिक होगी उसी पर विचार किया जाएगा।**

1(क) नीलामी बोली हेतु :

नीलामी बोली में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को जमानत के रूप में रू.5000 / — (पॉच हजार) मात्र जमा करना होगा। उसके बाद ही वे बोली में भाग लेने के अधिकारी होगें। बोली के समाप्त होने पर उच्च बोली के अवरोही क्रम में प्रथम तीन व्यक्तियों के जमानत राशि के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को उनकी द्वारा जमा की गयी धनराशि रू.5000 / — वापस कर दी जाएगी। यदि प्रथम उच्च बोली लगाने वाला व्यक्ति किन्ही कारणों से ठेका लेने में असमर्थ होता है तो दूसरे व्यक्ति, को जिसकी बोली प्रथम व्यक्ति की बोली के ठीक नीचे होगी, को यदि उचित समझा जाएगा तो ठेका दिया जाएगा तथा प्रथम व्यक्ति द्वारा जमा की गयी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। यदि किन्ही कारणो से द्वितीय व्यक्ति भी ठेका लेने में असमर्थ होता हो तो उसकी बोली के ठीक नीचे वाले तृतीय व्यक्ति को, यदि उचित समझा जाएगा तो ठेका दिया जाएगा तथा द्वितीय व्यक्ति द्वारा जमा की गयी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। यदि तृतीय व्यक्ति भी ठेका लेने में असमर्थ होता है तो उसकी भी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा पुनः ठेका नीलामी करने की व्यवस्था की जाएगी।

1(ख) <u>मुहरबन्द निविदाओं हेतु :</u>

(अ) मुहरबन्द निविदाएं रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा **दिनांक 03.09.2011 को अपराहन 02:00 बजे** तक इस न्यायालय में प्रस्तुत हो जानी चाहिए जों कि निबन्धक, उच्च न्यायालय, लखनउ खण्ड पीठ, लखनउ को सम्बोधित हो।

(ब) रू.5000 / — (पॉच हजार) मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट, निबन्धक, उच्च न्यायालय, लखनउ खण्ड पीठ, लखनउ के नाम से *(जमानत धनराशि हेतु)* मुहरबन्द निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

(स) निविदाएं खोलने पर अधिकतम धनराशि की प्रथम 3 निविदाओं के अतिरिक्त अन्य सभी निविदाओं को जमानत धनराशि के ड्राफ्ट के साथ सम्बन्धित व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा।

(द) यदि प्रथम निविदा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति किन्ही कारणों से ठेका लेने में असमर्थ होता है तो दूसरे व्यक्ति, को जिसकी निविदा प्रथम व्यक्ति की निविदा के ठीक नीचे होगी, को यदि उचित समझा जाएगा तो ठेका दिया जाएगा तथा प्रथम निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। यदि किन्ही कारणो से द्वितीय व्यक्ति भी ठेका लेने में असमर्थ होता हो तो उसकी निविदा के ठीक नीचे वाले तृतीय व्यक्ति को, यदि उचित समझा जाएगा तो ठेका दिया जाएगा तथा द्वितीय निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। यदि तृतीय व्यक्ति भी ठेका लेने में असमर्थ होता है तो उसकी भी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा ठेका नीलामी करने की व्यवस्था की जाएगी।

2 ठेका उपरोक्तानुसार स्वीकृति होने के तुरन्त बाद 7 दिन के अन्दर ठेका के राशि का 50 प्रतिशत धन जमा करना होगा। जो किसी भी हालत में वापस नहीं किया जाएगा। यदि 50 प्रतिशत धन उपरोक्त अवधि में जमा नहीं किया जाएगा तो उसके द्वारा जमानत के रूप में जमा रू.5000 / — जब्त कर लिया जाएगा तथा उसका ठेका निरस्त करके ठेके के आवन्टन की प्रक्रिया पुनः शुरू की जाएगी।

3 नीलामी बोली / मुहरबन्द निविदाओं की न्यूनतम राशि रू 1,40000 / — से शुरू होगी।

4 न्यायालय के निबन्धक को किसी भी बोली / निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूरा अधिकार सुरक्षित है।

क्रमशः......

–: ठेके की शर्तें :–

1 ठेका दिनांक 14.09.2011 से 13.09.2012 तक की अवधि हेतु होगा।

2 ठेकेदार को बोली का 50 प्रतिशत धन ठेका आवन्टन के 7 दिनों के भीतर जमा करना होगा। जो किसी भी हालत में वापस नहीं किया जाएगा।

3 ठेकेदार को बोली का 50 प्रतिशत बकाया धन ठेका निर्गत की तिथि से 14 दिनों के भीतर जमा करना होगा। यदि यह धनराशि उक्त तिथि तक जमा न की जाएगी तो इन परिस्थितियों में ठेकेदार द्वारा जमा किया गया स्वीकृत बोली का 50 प्रतिशत धन जब्त कर लिया जाएगा तथा ठेका रद्द समझा जाएगा और ठेका आवन्टन की प्रक्रिया नये सिरे से शुरू की जाएगा।

4 ठेकेदार उच्च न्यायालय के प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी एवं अधिकारी की साइकिल / स्कूटर तथा मोटर साइकिल निः शुल्क जमा करेगा।

5 अन्य व्यक्तियों से ठेकेदार रू.3/– प्रति साईकिल तथा रू.5/– प्रति स्कूटर तथा मोटर साइकिल की दर से वसूलेगा। साईकिल हेतु मासिक पास रू.40/– प्रतिमाह व स्कूटर / मोटर साईकिल हेतु रू.100/– प्रतिमाह की दर से जारी किया जा सकता है।

6 ठेकेदार को वाहन रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उचित टोकन देना होगा।

7 स्टेण्ड से चोरी गये वाहन का या उसे किसी प्रकार की क्षति पहुँचने पर ठेकेदार इसका उत्तरदायी होगा।

8 स्टैण्ड पर वाहन चोरी चले जाने पर या किसी भी प्रकार की क्षति के विरूद्ध नगद जमानत रू.20,000/– मात्र इन्डेमिनिटी के रूप में स्टेण्ड का कब्जा लेने के पहले जमा करना होगा, तत्पश्चात स्टैण्ड का कब्जा दिया जायेगा यदि इस धनराशि या इस धनराशि के किसी अंग से क्षतिपूर्ति की जाती है तो उसकी पूर्ति ठेकेदार को पन्द्रह दिनों के अन्दर जमा करनी होगी ताकि जमानत धनराशि रू.20,000/– मात्र निरन्तर जमा रहें।

9 स्टेण्ड के अतिरिक्त उच्च न्यायालय प्रांगण में प्रत्येक स्कूटर तथा मोटर साइकिल/ साइकिल को उठाकर ठेकेदार को स्टेण्ड पर ले जाने का अधिकार होगा तथा आवश्यक पहचान एवं निर्धारित शुल्क पॉच रूपया अर्थ दण्ड के रूप में वसूल करने के बाद ही वह इसे उसके स्वामी को हस्तांतरित करेगा।

10 ठेकेदार को अपने नाम पता एवं कार्यरत कर्मचारियों के नाम तथा स्टेण्ड खुलने एवं बन्द होने के समय का बोर्ड स्टेण्ड पर लगाना होगा।

11 ठेकेदार ठेका चलाने के लिए किसी अवांछनीय / आपराधिक किस्म के व्यक्ति को नही रखेगा यदि ठेकेदार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति निबन्धक द्वारा अपने व्यवहार या अन्य किसी कारण से अवांछनीय पाया जायेगा तो ऐसे व्यक्ति को ठेकेदार को हटाना होगा।

12 ठेकेदार को अपना व्यवहार विनम्र रखना होगा यदि उसके व्यवहार में कोई शिकायत निबन्धक के पास की जाती है तो निबन्धक का निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा, जो कि ठेका निरस्त किये जाने तक हो सकता है। ऐसे हालत में उसके द्वारा जमा धन राशि जब्त कर ली जाएगी।

13 ठेकेदार को स्टेण्ड के ठेके को सिकमी किरायेदारी पर देने का अधिकार न होगा यदि यह ठेका किसी व्यक्ति को सिकमी किरायदारी पर देता है तो उसका ठेका रद्द कर दिया जाएगा। उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जाएगी तथा स्टेण्ड का कब्जा ले लिया जाएगा।

14 ठेकेदार को स्टेण्ड साफ सुथरा रखना होगा जिससे किसी प्रकार की गन्दगी न हो उसको कूड़ा करकट, रद्दी कागज परचियॉ आदि इकठ्ठा करने के लिए एक ड्रम का प्राविधान करना होगा। ठेकेदार को रू.500/– मात्र सिक्योरिटी के रूप में इस आशय से जमा करना होगा कि यदि ठेकेदार सफाई कराने में असमर्थ पाया जाता है तो न्यायालय स्वयं सफाई करायेगा तथा ठेकेदार द्वारा जमा की गयी उक्त सिक्योरिटी में से रू.25/– प्रतिदिन की दर से सफाई कर्मचारी को भुगतान कर देगा। यदि ठेके की अवधि में ठेकेदार स्वयं सफाई की व्यवस्था बनाये रखता है तथा न्यायालय को सफाई कराने की कोई व्यवस्था नहीं करनी पडती है तो जमा सिक्योरिटी ठेके समाप्त होने पर ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी।

क्रमशः......

15 प्रत्येक कार्य दिवस पर ठेकेदार को स्टेण्ड नियमित रूप से 9 बजे सुबह से शाम 6 बजे तक खोलना होगा। किसी कारणवश वह किसी दिन स्टैण्ड खोलने में असमर्थ होता है तो इस आशय की पूर्व सूचना कारण सहित उसे अधोहस्ताक्षरी को भेजनी होगी तथा स्टेण्ड के नोटिस बोर्ड पर इस आशय की सूचना देनी होगी। यदि बिना किसी पूर्व सूचना अथवा स्वीकृति के स्टेण्ड बन्द रखा जाता है तो ठेका समाप्त कर दिया जाएगा तथा ठेकेदार द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जाएगी तथा ठेकेदार से स्टेण्ड का कब्जा ले लिया जाएगा।

16 जिस व्यक्ति को ठेका दिया जाएगा उसे अपने व्यय पर निर्धारित मूल्य के जनरल स्टैम्प पर ठेके की शर्तो का एक अनुबन्ध पत्र ठेका निर्गत की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर निष्पादित करना होगा यदि वह ऐसा करने में असमर्थ पाया जाता है तो ठेका रद्द कर दिया जाएगा तथा स्टेण्ड का कब्जा वापस ले लिया जायेगा इस परिस्थितियों में उसके द्वारा जमा की गई कुल धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

17 उपरोक्त नियमों एवं शर्तो में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में ठेकेदार का ठेका निरस्त करते हुए उसके द्वारा जमा धनराशि माननीय उच्च न्यायालय के पक्ष में जब्त की जा सकती है एवं ठेके का कब्जा वापस लिया जा सकता है।

जो व्यक्ति ठेका लेने के इच्छुक हैं वे स्टैण्ड का निरीक्षण 10 बजे से 4 बजे के बीच कार्यालय दिवस में किसी भी दिन व्यवस्थाधिकारी / कोर्ट ऑफीसर से सम्पर्क करके कर सकते है।

(हर्ष कुमार)
निबन्धक

संख्या....................../2011 **दिनांक ..../2011**

प्रतिलिपि अपने कार्यालय के सूचनापट पर प्रदर्शित करने एवं सार्वजनिक सूचना हेतु प्रेषित :–

1 सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनउ
2 निदेशक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनउ
3 आयुक्त लखनउ मण्डल, लखनउ
4 जनपद न्यायाधीश, दीवानी कचहरी, लखनउ
5 जिलाधीश, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, लखनउ
6 केयर टेकर, सचिवालय, उत्तर प्रदेश लखनउ।
7 प्रभारी कम्प्यूटर सेन्टर, उच्च न्यायालय, लखनउ खण्ड पीठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त नोटिस मा0 उच्च न्यायालय की अधिकारिक वेबसाइट में अप लोड कराने का कष्ट करें।
8 कोर्ट ऑफीसर, उच्च न्यायालय, लखनउ को 3 प्रति अतिरिक्त विज्ञापन हेतु।..

अनुभाग अधिकारी (प्रशा0)